P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-IV **Paper Name- Law of Evidence** **Unit -4**

Q1. प्रश्न - विबंधन के सिद्धांत को समझाए !

धारा 115. विबन्ध (Estoppel) — जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा कार्य या लोप द्वारा (by his declaration, act or omission) अन्य व्यक्ति को विश्वास साशय कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है (intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है, (and to act upon such belief) तब न तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी बाद या कार्यवाही true) में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने (to deny the truth of that thing) दिया जायेगा।

विबन्ध को अंग्रेजी में 'एस्टापल' कहते हैं जो कि फ्रेंच भाषा के शब्द 'एस्टाप' 'estop' अंग्रेजी शब्द 'stop' से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'रोकना'। इसलिये इस पद से तात्पर्य किसी उस चीज से है जो कि 'व्यक्ति का मुँह बन्द कर सकती है'। लार्ड कोक के अनुसार ' "जहाँ कि व्यक्ति के स्वयं का कार्य या स्वीकृति उसके मुँह को बन्द कर देती है कि वह सत्य को अभिकथित या अभिवचन कर सके, वह विबन्ध है।"] हॉल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैण्ड के अनुसार विबन्ध (Estoppel) वहां कहा जाता है जहां एक पक्षकार को यह कहने की अनुमति नहीं होती कि एक तथ्य का पूर्ववर्ती कथन असत्य है चाहे वह (तथ्य या कथन) वास्तव में सत्य हो अथवा असत्य। व्यपदेशन द्वारा विबन्ध (Estoppel by representation), साक्ष्य के उन विभिन्न नियमों को समाविष्ट करता है, जिसका सामान्य सिद्धान्त यह है कि मुकदमेबाज पक्षकार को मुकदमे के किसी अन्य पक्षकार के विरुद्ध उस वाद में कोई व्यपदेशन, जो उसके द्वारा इस उद्देश्य से, अन्य पक्षकार से पहिले किया गया है, उसे खण्डन करने से विवर्जित या रोक दिया जाता है, और जिसे उत्प्रेरित करने के परिणामस्वरूप उससे उसके अहित में उसकी स्थिति बदल गई हो। उच्चतम न्यायालय ने विबन्ध को इस प्रकार स्पष्ट किया, विबन्ध साम्या का नियम है जो सत्य का अभिवचन किये जाने या व्यपदेशन जिसके विश्वास पर दूसरे ने अपने अहित में कार्य किया, से मुकरना निषिद्ध करता है।

विबन्ध (Estoppel) वहां कहा जाता है जहां किसी पक्षकार को यह कहने की अनुमति नहीं कि कोई तथ्य या कथन असत्य है, चाहे वह वास्तव में सत्य हो या नहीं। विबन्ध का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार एक बात कहकर दोबारा उस बात का खण्डन करने का अकारण अधिकार नहीं दिया जा सकता है। किसी तथ्य का व्यपदेशन (representation) करने के पश्चात् व्यपदेशनकर्ता का मुख बन्द हो जाता है कि वह अपने द्वारा किये गये व्यपदेशन का खण्डन कर सके। विबन्ध वास्तव में एक नियम है जिसके द्वारा पक्षकार किसी पूर्व कार्य के द्वारा जिसका कि वह पक्षकार था उस तथ्य को इन्कार करने से वर्जित किया जाता है। यह एक अपवर्जन का नियम है जो सुसंगत तथ्य को अग्राह्य कर देता है।

सिद्धान्त — विबंध इस सिद्धान्त पर आधारित है कि यह बात अत्यधिक साम्याहीन (inequitable) और अन्यायपूर्ण (unjust) होगी कि यदि कोई व्यक्ति व्यपदेशन करके (by a representation made) या ऐसे आचरण से जो व्यपदेशन की कोटि का है, किसी व्यक्ति को उस प्रकार करने के लिए उत्प्रेरित (induced) किया है, जो वह अन्यथा न किए होता, तो वह व्यक्ति जिसने व्यपदेशन किया था, उसे अपने पहले के कथन के प्रभाव का प्रत्याख्यान (deny) या निराकरण (repudiate) उस व्यक्ति की हानि या क्षति के लिए करने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए, जिसने उसके अनुसार कार्य किया था ।

यह धारा कहती है कि जब किसी व्यक्ति ने अपने, (क) घोषणा, (ख) कार्य या (ग) लोप, से साशय अन्य व्यक्ति को विश्वास कराया है, या कर लेने दिया है कि,

(i) कोई बात सत्य है, और

(ii)ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया, तब न तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के, या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी वाद या कार्यवाही में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जायेगा।

विबन्ध के सिद्धान्त के मुख्य रूप से तीन आधार हैं

(1) यह कि कोई व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कार्य का लाभ नहीं उठा सकता।

(2) यह कि आप गरम और ठण्डी साँस एक साथ नहीं ले सकते। (cannot blow hot and cold at the same time)

(3) चुनाव द्वारा विबन्ध या अनुमोदन और अनुमोदन न करना (Estoppel by election or appropriation and reprobation) - आप एक ही समय में दोनों स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तीसरा सूत्र स्काटलैण्ड की विधि से लिया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि आप उसी दस्तावेज को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकते हैं अर्थात् एक ही समय पर एक ही व्यक्ति स्वीकार (approbate) और अस्वीकार (reprobate) नहीं कर सकता है

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-IV **Paper Name- Law of Evidence** **Unit -4**

Q2. सबूत के भार को समझाइये। निम्नलिखित संदर्भो में सबूत का भार किस पर होगा?

१.संतति वैधतता

२ कोई व्यक्ति जीवित है या मृत

३ स्वामित्व

धारा 101 . सबूत का भार - जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक (legal) अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यात (assert) करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है।

जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

दृष्टान्त

(क) क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दण्डित करने का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है।

क को यह साबित करना होगा कि ख ने वह अपराध किया है।

(ख) क न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण, जिनके सत्य होने का वह प्राख्यान और ख प्रत्याख्यान (deny) करता है, यह निर्णय दे कि वह ख के कब्जे में की अमुक भूमि का हकदार है। क को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा।

सबूत के भार (burden of proof प्रमाण भार) का अर्थ है- "तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व।" प्रत्येक पक्षकार को ऐसे तथ्य को स्थापित करना होता है जो उसके पक्ष में हो तथा दूसरे पक्षकार के विपक्ष में। यह जानने के लिए कि कौन पक्षकार सकारात्मक (affirmative) बात कर रहा है, विषय के सार (substance) को देखा जाता है, प्रयुक्त शब्दों को नहीं। उदाहरणार्थ, एक गृहस्वामी ने किरायेदार पर आरोप लगाया कि उसने संविदा के अनुसार मकान की मरम्मत नहीं करवाई थी। प्रतिवादी ने उत्तर में कहा कि उसने वास्तव में तथा भलीभाँति मरम्मत करवाई थी। वादी नकारात्मक (negative) बात कह रहा था और प्रतिवादी सकारात्मक। न्यायालय ने कहा कि यह केवल व्याकरणिक रूप से सकारात्मक था और विषय के सार को देखते हुए यह वादी को साबित करना था कि भवन की मरम्मत नहीं की गई थी। 13 लार्ड अबिन्जर सी० बी० ने कहा – "साधारण दृष्टि से इस विषय को देखते हुए हमें यह देखना है कि कौन-सा सारभूत तथ्य (substantive fact) साबित होना है। विवाद का रूप क्या है, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसका सार तथा प्रभाव । कई परिस्थितियों में अभिवचनों के शब्दों की जरा-सी फेरफार से विषय को सकारात्मक या नकारात्मक बनाया जा सकता है। वादी ने यह कहा- "आपने मरम्मत नहीं की", वह यों भी कह सकता था - "आपने मकान टूटने दिया।" न्यायालय को विषय का सार (substance of the issue) देख लेना चाहिए और फिर पक्षकार को साक्ष्य आरम्भ करने का आदेश दें जो सारभूत रूप से सकारात्मक बात कहता है। हर एक मामले में कुछ तथ्य या कुछ प्रतिपादनाएँ एक ओर के पक्षकारों द्वारा प्राख्यात की जाती हैं और दूसरी ओर के पक्षकारों द्वारा प्रत्याख्यात या कम से कम स्वीकृत नहीं की जाती हैं। तब प्रश्न यह उठता है कि उन दोनों में से किस पक्षकार को विवाद्यक तथ्य साबित करना जरूरी है? किसी विवादग्रस्त बिन्दु पर साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने से पूर्व न्यायालय को यह तय करना होता है कि कोई तथ्य विशेष किस पक्षकार द्वारा साबित किया जाना है। जिस पक्षकार द्वारा उसे साबित किया जाना है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि 'सबूत का भार' उस पक्षकार पर है। विवाद्यक तथ्य को साबित करने हेतु साक्ष्य को प्रस्तुत करने के दायित्व को 'सबूत का भार' कहते हैं।

१.संतति वैधतता

(i) धारा 112. विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व (legitimacy) का निश्चायक सबूत है– यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य (valid) विवाह के कायम रहते हुए या उसका विघटन होने के उपरान्त माता के अविवाहित रहते हुए दो सौ अस्सी दिनों के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चायक (conclusive) सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज (legitimate) पुत्र है, जब तक कि यह दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुँच ऐसे किसी समय नहीं थी, जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था ।

(विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए : विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना वैधता (औरसता) का निश्चायक सबूत है (Birth during marriage conclusive proof of legitimacy) मातृत्व (Maternity) को स्थापित करने के लिए निश्चित प्रमाण चाहिये, किन्तु पितृत्व (paternity) की स्थापना अनुमान के आधार पर की जा सकती है। मातृत्व निश्चित होता है, पितृत्व अनिश्चित बच्चे का पिता से सम्बन्ध गुप्त हो सकता है किन्तु वर्तमान तथ्यों के आधार पर इसे निश्चित किया जा सकता है। स्पष्ट रूप में यह सभी व्यक्तियों को विदित होता है कि मातृत्व एक निश्चित तथ्य है और पितृत्व एक संदेह का विषय है। किन्तु धारा 112 साधारणतया पितृत्व को भी निश्चित बनाना चाहती है; क्योंकि शिशु के पितृत्व की तहकीकात करना अवांछनीय है जिसके माता-पिता की परस्पर पहुँच थी। अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में; यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किसी बालक को किस पिता और माता ने जन्म दिया है किन्तु यह कहना मुश्किल है कि उस बालक का वास्तविक पिता कौन है। धारा 112 किसी बच्चे के पितृत्व को निश्चित करने का नियम बताती है। यह धारा कहती है कि

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

उपधारणा की शर्तें -

(1) यदि बालक का जन्म वैध शादी की अवधि में हुआ है; या

(2) यदि विवाह का विघटन हो गया तो विघटन के 280 दिन के भीतर हुआ है और इस बीच उस औरत ने दूसरी शादी नहीं की है,

(3) एक दूसरे तक पहुँच-विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुँच ऐसे किसी समय अवश्य रही हो जब बच्चे का गर्भाधान किया जा सकता था; यही धर्मजत्व की उपधारणा का आधार है;

तो यह उपधारणा की जायेगी कि वह बालक उस व्यक्ति का पुत्र या पुत्री है जिससे उसकी माँ का ब्याह हुआ था, जब तक कि दिखला नहीं दिया जाता कि "विवाह के पक्षकारों की पहुँच ऐसे किसी समय नहीं थी, जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था।"8 "पहुँच" का तात्पर्य है वास्तविक संभोग ।

वही व्यक्ति पिता है जिसको विवाह उपदर्शित करता है। यही समाज की समस्त इमारत की आधारशिला है। यदि हम इसको एक बार भी हिलने देंगे तो यह नहीं कहा जा सकता कि इसके क्या परिणाम होंगे। पुनश्च विधि हमेशा अनैतिकता एवं दुराचार के विरुद्ध उपधारणा करती है। जन्मजात शिशु को जारज न घोषित करना चाहिये क्योंकि जारज होने से उसको निम्नतर हैसियत प्राप्त होगी। अतएव यह लोकनीति के विपरीत है।

धारा 112 के अधीन यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म

(क) उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुये,

(ख) उसका विघटन होने के उपरान्त माता के अविवाहित रहते हुये दो सौ अस्सी दिन के भीतर हुआ था,

इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज, औरस या वैध (legitimate) पुत्र है जब तक कि पक्षकारों की परस्पर पहुँच ऐसे समय न रही हो जबकि उसका गर्भाधान किया जा सकता था।

२ कोई व्यक्ति जीवित है या मृत

(ii). धारा 107. उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है - जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह दर्शित किया गया है

कि वह तीस वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है।

उत्तरजीविता तथा मृत्यु

जीत व्यक्ति के बारे में उपधारणा अर्थात् जीवित होने की उपधारणा (Presumption of Survivorship)– मृत्यु सिद्ध करने का भार- यह उपधारणा बहुत मजबूत प्रकृति की नहीं है। इसका केवल थोड़े से विपरीत साक्ष्य से ही खण्डन किया जा सकता है, मिसाल के लिए सात वर्ष की अनुपस्थिति बल्कि यह भी कि न्यायालय बिना किसी साक्ष्य के यह अस्वीकार ही न करे कि वह अब भी जीवित है। धारा 107 कहती है कि जब यह दिखा दिया गया है कि कोई व्यक्ति 30 साल के अन्तर्गत जीवित था तो यह सिद्ध करने का भार कि वह मर गया है, सिद्ध करने वाले व्यक्ति पर होता है।

अर्थात् उपधारणा यह है कि वह अब भी जीवित है और यदि कोई यह कहता है कि वह जीवित नहीं है तो उसे ही यह बात साबित करनी होगी।

धारा 108. यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है परन्तु जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है, उस व्यक्ति पर चला जाता है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है।

मृत्यु की उपधारणा (Presumption of death) [धारा 108]

सात वर्ष लापता होने पर केवल मृत्यु की उपधारणा - धारा 108 बहुत ही गम्भीर रूप से धारा 107 की उपधारणा को प्रतिबन्धित करती है। धारा 108 का संक्षिप्त रूप यह है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में सात वर्ष कुछ भी नहीं सुना गया है तो यह उपधारणा की जाती है कि उसकी मृत्यु हो गई है और यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह अब भी जीवित है तो यह बात उसे ही साबित करनी होगी। सात साल तक लापता रहना खण्डनीय उपधारणा पैदा करता है कि वह व्यक्ति मर चुका है। धारा 107 के अनुसार यदि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति 30 वर्ष के भीतर की अवधि में जीवित था और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वह मर गया है तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह व्यक्ति अब भी जीवित है। किन्तु धारा 108 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 7 साल के भीतर आम जनता के द्वारा नहीं सुना गया है तो दूसरे पक्ष पर यह भार सिद्ध करना हस्तांतरित हो जाता है कि वह व्यक्ति अब भी जीवित है। किन्तु इस 7 साल की अवधि में वह व्यक्ति कब मरा, यह इस धारा की उपधारणा के अन्तर्गत नहीं आता है, और वह कब मरा, इसको पृथक् साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना पड़ता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

३ स्वामित्व

(iii). धारा 110. स्वामित्व के बारे में सबूत का भार - जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है। तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है, उस व्यक्ति पर है, जो प्रतिज्ञात (affirm) करता है कि वह स्वामी नहीं है।

स्वामित्व का सबूत [धारा 110] - जब मालिक कब्जा न हो

यह धारा इस साधारण नियम को मान्यता देती है कि यदि कोई सम्पत्ति किसी के कब्जे में है, तो वही उसका मालिक या स्वामी है। सम्पत्ति विधि (The law of property) सर्वप्रथम नियन्त्रण (control), उपयोग (use) और अधिभोग या दखल (occupation) के प्ररूपों (form) और मात्राओं (degrees) की व्यवस्थित अभिव्यक्ति है जो विधि द्वारा मान्य और संरक्षित हैं 194 सम्पत्ति के स्वामित्व की उपधारणा केवल दो शर्तों के पूरा होने पर लागू होती है अर्थात् कब्जा प्रथमदृष्ट्या सदोष (wrongful) या दोषपूर्ण नहीं है, और (2) अन्य विरोधी पक्षकार का हक (Title) साबित नहीं है 195 ' कब्जा केवल बेहतर हक न रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध हक देता है' (Possession gives title only against person having no better title) । जितनी लम्बी अवधि का कब्जा होगा उतनी ही अधिक सशक्त उपधारणा होगी। उपधारणा का खण्डन किया जा सकता है। इस धारा का सिद्धान्त वहाँ नहीं लागू होता जहां कब्जा कपट से या बलपूर्वक अभिप्राप्त किया गया हो। इस धारा में 'कब्जा' शब्द को विधिक कब्जा के विपरीत और वास्तविक कब्जा द्योतित करने वाला समझा जाना चाहिये। कब्जा प्रथम दृष्ट्या स्वामित्व का सबूत है। कब्जा - साधारणतया कब्जा स्वामित्व का सबूत माना जाता है और जो व्यक्ति कब्जे में है उसको वही व्यक्ति बेकब्जा कर सकता है जो प्रश्नगत सम्पत्ति पर अपना हक साबित कर दे। इस धारा में कब्जे से वास्तविक न कि विधिक कब्जा अभिप्रेत है। "कब्जा स्वामित्व का प्रथमदृष्ट्या सबूत" माना जाता है क्योंकि वह स्वामित्व के कार्यों को जोड़ता है। कब्जे के आधार पर हक की उपधारणा तभी की जा सकती है साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाये कि सम्पत्ति में किसी अन्य का हक नहीं है

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW